

## प्रेसनोट दिनांक 16.01.2021

1. दिनांक 15.01.21 को वादी उ0नि० श्री रजनीश कुमार पाण्डेय थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि आकाश गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता नि० सरयू बिहार कालोनी थाना को०नगर अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 22/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 15.01.21 को वादी का० धर्मन्द्र सिंह यादव थाना महराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र हरिभान सिंह नि० समंथा थाना महराजगंज अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महराजगंज में मु०अ०सं० 15/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 15.01.21 को वादी उ0नि० श्री अश्वनी प्रताप सिंह थाना महराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. विन्देश्वरी पुत्र राम जगत नि० मोहर्रमपुर अरती थाना महराजगंज अयोध्या 2. अरुण यादव पुत्र कृष्णायादव नि० शेरापुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या 3. गोकुल पुत्र गुरु दयाल नि० मोहर्रमपुर अरती थाना महराजगंज अयोध्या सभी गिर० अभियोग के कब्जे से 05–05 लीटर कुल 15 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महराजगंज में मु०अ०सं० 16/21 से 18/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 15.01.21 को वादी श्री राकेश यादव पुत्र. हरि प्रसाद नि० सुरवारी थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि धर्मचन्द्र यादव पुत्र लल्लन नि० लक्ष्मण तिवारी का पुरवा सुरवारी थाना रौनाही अयोध्या अभियुक्त द्वारा वादी को गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 28/21 धारा 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 15.01.21 को वादी उ0नि० श्री अरुण कुमार सिंह थाना को०बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शीटर पुत्र मजनू नि० रसूलपुर थाना हैदरगंज अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 40 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 26/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 15.01.21 को वादी उ0नि० श्री अरुण कुमार सिंह थाना को०बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मो० अलीम पुत्र अब्दुल सलाम नि० रानीमऊ खेता सराय जनपद जौनपुर गिर० अभियुक्त के कब्जे से 100 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 27/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 15.01.21 को वादी उ0नि० श्री अरुण कुमार सिंह थाना को०बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मो० आमिर पुत्र इस्तियाक नि० रानीमऊ खेता सराय जनपद जौनपुर गिर० अभियुक्त के कब्जे से 60 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 28/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 15.01.21 को वादी उ0नि० श्री अरुण कुमार सिंह थाना को०बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मो० तहजीम पुत्र नसीम अहमद नि० रानीमऊ खेता सराय जनपद जौनपुर गिर० अभियुक्त के कब्जे से 40 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 29/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 15.01.21 को वादी उ0नि० श्री अरुण कुमार सिंह थाना को०बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अमीर उल्लाह पुत्र फैयाज अहमद नि० लेदरही खेता सराय जनपद जौनपुर गिर० अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 30/21 धारा 3/25 आर्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
10. दिनांक 15.01.21 को वादी उ0नि० श्री अमित कुमार थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि हीरालाल पुत्र साहबदीन पासी नि० देवरिया थाना इनायतनगर अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 14/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।